दिनांक. 23.08.2019

श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक,
RSRTC, मुख्यालय,
जयपुर।

विषय— भण्डार निरीक्षक से भण्डार अधीक्षक पदोन्नति में केवल गैर अजा/अजजा कार्मिको को पदोन्नति दिये जाने बाबत।

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि **RSRTC** में भण्डार निरीक्षक से भण्डार अधीक्षक के पद पर पदोन्नतियां प्रकियाधीन हैं। इस कम में हमारा निवेदन यह है कि भण्डार अधीक्षक के केवल 13 पद **RSRTC** में स्वीकृत हैं जिनमें 2 पद **SC** के एवं 1 पद **ST** का वर्तमान में **SC** एव **ST** कार्मिको से भरा हुआ है। अर्थात भण्डार अधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित रोस्टर में अजा/अजजा का रोस्टर पॉइन्ट भरा हुआ है शेष सभी पद सामान्य पद से भरे जाने हैं अतः हमारी प्रार्थना है कि भण्डार निरीक्षक से भण्डार अधीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए अजा/अजजा के लिए कोई भी कार्मिक पात्र नही हो सकता है क्यों कि :—

(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आर के सभरवाल के प्रकरण में दिये गये निर्णय एवं इसकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा रोस्टर रजिस्टर संधारण के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एक बार रोस्टर में अजा/अजजा के लिए आरक्षित रोस्टर पॉइन्ट आरक्षित वर्ग के लिए व्यक्तियों से भर जाने के बाद रिपलेसमेंन्ट सिद्धान्त को लामू किया जाना अनिवार्य है। अतः जब तक भण्डार अधीक्षक पदों में आरक्षित अजा/अजजा के रोस्टर पॉइन्ट खाली नही हो जाते तब तक अजा/अजजा का कोई भी कार्मिक भण्डार अधीक्षक पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2017 के अनुसार आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी यदि फीस के अलावा किसी भी स्तर पर कोई भी आरक्षण का लाभ या छूट प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी सूरत में कभी भी सामान्य पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार का यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदीत किया जा चुका है।

(3) नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नही है। इसके विपरीत अनुच्छेद 16(4)A में आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को कुछ शर्तो के अधिन परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का प्रावधान अनुच्छेद 16(4)A में किया गया है। अतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ देने की कोई मंशा नही है यदि ऐसे कोई नियम राज्य सरकार या **RSRTC** द्वारा बनाये गये है तो वे असंवैधानिक होने के कारण अवैध है।

(4) हमारी जानकारी में **RSRTC** में अजा/अजजा के कुछ ऐसे भण्डार निरीक्षक हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर उपभण्डार निरीक्षक के पद पर चयनित हुए, परिणामिक वरिष्ठता का लाभ लेकर भण्डार निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुए और अविधिक रूप से भण्डार अधीक्षक के सामान्य पदों पर पदोन्नत होने को प्रयासरत हैं। ऐसे कार्मिको को सामान्य पदों पर पदोन्नत किया जाना पूरी तरह

(लगातार —— 2)

अविधिक एवं असंवैधानिक होने के साथ–साथ कर्मठ,ईमानदार सामान्य वर्ग के कार्मिकों के साथ अन्यायपूर्ण भी है।

(5) वर्तमान में **RSRTC** में उपभण्डार निरीक्षक पद पर 76 कार्मिक कार्यरत है जिनमें से 25 कार्मिक अजा/अजजा के है, भण्डार निरीक्षक के पद पर कुल 26 कार्मिक कार्यरत है जिनमें से 12 कार्मिक अजा/अजजा के है इसी प्रकार भण्डार अधीक्षक पद पर 3 कार्मिक कार्यरत है जिनमें से तीनों ही कार्मिक अजा/अजजा के है इस प्रकार से यह प्रकटतः प्रमाणित है कि उपभण्डार निरीक्षक, भण्डार निरीक्षक एवं भण्डार अधीक्षक के सर्विस केडर में अजा/अजजा का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ही नही बल्कि आनुपातिक से भी अधिक है। इससे यह भी साबित होता है कि वर्ष 1989–90 में उपभण्डार निरीक्षक पद पर जो विशेष अभियान चला कर केवल अजा अजजा वर्ग के कार्मिकों की भर्ती की गई थी वह **"excessive reservation"** होने के कारण पूरी तरह अवैध एवं असंवैधानिक थी। इस भर्ती के आधार पर नियुक्त किये गये कार्मिक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर के सभरवाल के प्रकरण में निर्धारित किये गये प्रावधान के विरूद्ध होने से बर्खास्त किये जाने के योग्य हैं।

अतः आपसे प्रार्थना है कि उपभण्डार निरीक्षक से भण्डार निरीक्षक के पद पर तथा भण्डार निरीक्षक से भण्डार अधीक्षक के पद पर पदोन्नति करते वक्त उपरोक्त नियमों, सरकारी आदेशों एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पूरी तरह पालना की जावे। सामान्य पद पर किसी भी अजा/अजजा कार्मिक को पदोन्नति नहीं दी जावे।

हमारे इस ज्ञापन पर की गयी न्यायपूर्ण कार्यवाही की सूचना हमे सात दिवस में देने की कृपा करें। सकारात्मक त्वरित कार्यवाही के लिए अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय

नाम– 1. पूरन सिंह राजावत भण्डार निरीक्षक मो. 9314518495

2. पी के वर्गीस भण्डार निरीक्षक मो. 9602240234

3. प्रवीण कुमार भण्डार निरीक्षक मो. 7014311281

4. मदन मोहनलाल शर्मा भण्डार निरीक्षक मो.9413417430 –

5. अशविनी याग्निक भण्डार निरीक्षक मो.8619915156

6 शैलेन्द्र सिंह भण्डार निरीक्षक मो. 9929716109

7. मुकेश चन्द शर्मा उपभण्डार निरिक्षक – 9460300783 –